राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दांडिक विविध प्रार्थनापत्र संख्या 200/2014
अन्तर्गत
एकलपीठ दांडिक विविध याचिका संख्या 1456/2014
जून यूल यू बनाम स्टेट आफ राजस्थान

दिनांक - 30.6.2014

मानननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, लोक अभियोजक।

प्रार्थी की ओर से इस प्रार्थनापत्र के माध्यम से निम्नलिखित प्रार्थना की गयी है:-

"It is, theefore, humbly prayed that your lordships may very graciously be pleased to accept this misc. application and now the petitioner has been admitted in the hospital at Korea for his treatment and thus, it is in the interest of justice to extend the period of three months more in view of the medical report (Annexure-2).

Or any appropriate order which this Hon'ble Court may deem just and proper, in the facts and circumstances of the case may kindly also be passed in favour of the petitioner."

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की है कि प्रार्थी कोरिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा एवं उन्हें सूचना मिली है कि अब प्रार्थी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है। प्रार्थी की इस न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के समय को दिनांक 10 जुलाई, 2014 तक बढ़ाया जावे, जिससे प्रार्थी इस न्यायालय के समक्ष

अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सके। उन्होनें इस प्रार्थनापत्र के साथ संबंधित दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये हैं।

न्यायहित में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना स्वीकार करते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक विविध प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9.5.2014 की पालना में प्रार्थी की इस न्यायालय के समक्ष उपस्थिति की अवधि को दिनांक 10.7.2014 तक के लिये बढ़ाया जाता है। प्रार्थी दिनांक 10.7.2014 को इस न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करावे।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश

All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment /order being E-mailed.

SK Sharma
PS